न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–।।, गाजीपुर

दण्डवाद सं0 03/2020

राज्य – प्रति – मु0 सलाम खॉ

दिनांक : 15.02.2022 **पी.डब्ल्यू –03**

मैं, **दिव्येन्दु प्रकाश सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह**, उम्र लगभग 29 वर्ष, हाल तैनाती थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर, शपथ पूर्वक बयान करता हूॅ किः–

दिनांक 30.10.2019 को मैं, थाना जमानियां में आरक्षी के पद पर तैनात था। उस दिन मैं, उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी व कांस्टेबल मंगल यादव के साथ शान्ति व्यवस्था क्षेत्र में मामूर थे। जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ में लाल झोला में गांजा लेकर दरौली से रामपुर फुफुआव के तरफ जा रहा है। मुखबिर के सूचना पर विश्वास कर मैं और उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी व कांस्टेबल मंगल यादव तथा मुखबिर के साथ दरौली से रामपुर फुफुआव जाने वाली रोड के नहर के पुलिया के पास गुमटी के पीछे छीप कर उक्त व्यक्ति का इन्तेजार करने लगे कि एक व्यक्ति हाथ में लाल झोला लेकर आता दिखाई दिया।

जिसे मुखबिर ने इशारा कर के बताया व पीछे मुड़ कर चला गया कि उक्त व्यक्ति के पास आने पर मैं, उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी व कांस्टेबल मंगल यादव अचानक से सामने आकर नहर पुलिया दरौली के पास उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। व उसका नाम पता पुछा गया। उसने अपना नाम मो0 सलाम खॉ पुत्र स्व0 इलियास निवासी रामपुर फुफुआव थाना जमानिया जिला गाजीपुर उम्र 45 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति से उसके दाहिने हाथ में लिये लाल झोले के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इसमें गांजा है जिसे मैं, बेचने के लिए ले जा रहा था।

उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी द्वारा पकड़े गये व्यक्ति को एन.डी.पी.एस. एक्ट 50 के अन्तर्गत उसके अधिकारों को बताया गया तथा तलाशी हेतु उसे किसी मजिस्ट्रेट या राज्य पत्रित अधिकारी के यहां होगा। तो उपरोक्त ने कहां कि साहब जब आप लोगों ने पकड़ ही लिया है तो हमें आप लोगों पर पूरा विश्वास है आप ही मेरा तलाशी ले लिजिए।

हम पुलिस वाले आपस में एक दुसरे की जामा तलाशी ले देकर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं होने का विश्वास दिलाकर पकड़े गये उपरोक्त व्यक्ति से सहमति पत्र तैयार कर उसपर उसका हस्ताक्षर बनवाकर उसके दाहिने हाथ में लिए हुए झोले में अखबारी कागज में रखा हुआ गांजा मिला जिसको कांस्टेबल मंगल यादव दरौली चट्टी से सब्जी के दुकान से इलेक्ट्रानिक तराजू लेकर आया तथा वजन किया गया तो 01 किलो व 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ।

जिसमें से 100 ग्राम बतौर नमूना निकाल कर शेष माल को उसी झोला में रखकर सर्व सील मोहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किया गया व उपरोक्त व्यक्ति से गांजा रखने का अधिकार मांगा गया तो वह दिखाने में विफल रहा। तब उसको जुर्म धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध बताकर समय 18:05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। दौरान गिरफ्तारी बहुत से लोग आ गये लेकिन गवाही के नाम पर हट बढ़ गये। फर्द शामिल पत्रावली कागज सं0 5अ को देख कर गवाह ने अपने हस्ताक्षर का तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क1 पहले से पड़ चुका है। इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया है।

प्रतिपरीक्षा X X X X X X X X

घटना से पहले थाने से रवानगी का रपट नं0 और समय सही सही याद नहीं है। जिस समय मुखबिर आकर सूचना दिया उस समय हमलोग थाने के बाहर खड़े थे। मुखबिर के आने का समय सही याद नहीं है। मुखबिरी के बारे में दरोगा जी ने कोई मुखबिरी मेमो नहीं बनाया था। थाने से घटना स्थल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। घटना स्थल के अगल बगल खेत है। आवासीय मकानात नहीं हैं। घटना स्थल पर मुल्जिम किस दिशा से आ रहा था दिशा याद नहीं है।

सबसे पहले मुल्जिम लगभग 50 मीटर दूरी पर दिखायी दिया। वह पैदल आ रहा था। वह अकेले था। मुल्जिम जब हम लोगों के पास आया तो हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। मुखबिर ने मुल्जिम को पहचानवाया था।

दरोगा जी ने मुल्जिम से पूछा था कि तुम्हारे पास झोले में क्या लिये हो। इसके अलावा मुखबिरी की बात नहीं बताया था। मुल्जिम को तलाशी के विकल्प के बारे में कोई लिखित नोटिस नहीं दी गयी थी। सहमति पत्र बनाया गया था। सहमति पत्र पर हम कांस्टेबिलान या दरोगा जी ने हस्ताक्षर नहीं बनाया था। केवल मुल्जिम ने हस्ताक्षर बनाया था। सहमति पत्र में स्थान व समय अंकित नहीं है। दिनांक ''30.10.2019'' के तीन के अंक पर ओवर राइटिंग है।

यह कहना गलत है कि किसी दूसरे तारीख के स्थान पर 30.10.19 अंकित कर दिया गया है। फर्द बरामदगी में मुल्जिम के पकड़े जाने का समय अंकित नहीं है।

यह कहना गलत है कि फर्द बरामदगी में मुल्जिम को पुलिस हिरासत में लेने का समय व गांजे का वजन बाद में दूसरे स्याही से अंकित किया गया है।

माल झोले में अखबार में लपेट कर रखा गया था। घटना के समय मेरे पास मोटर साइकिल नहीं थी। तराजू लेने मैं नहीं गया था। इलेक्ट्रानिक तराजू था। मुझे याद नहीं है कि पूरे झोले को मारकिन में लपेट कर सील किया गया था।

माल नमूना के पैकेट पर मैंने या हमराही कांस्टेबल ने हस्ताक्षर नहीं बनाये थे। माल दरोगा जी ने अपने सील से सील किया था। सील पर क्या अंकित था। मैं नहीं बता सकता। यह याद नहीं है कि नमूना मुहर पर किसने किसने हस्ताक्षर बनाया था। थाने पर वापस आने का रपट नं0 याद नहीं है।

पत्रावली में परीक्षण रिपोर्ट नहीं है। मैं इसका कोई कारण नहीं बता सकता।

यह कहना गलत है कि जैसा मैंने बयान दिया वैसी कोई तलाशी, बरामदगी और गिरफतारी नहीं हुई हो।

यह भी कहना गलत है कि मुल्जिम को घर से पकड़ कर फर्जी मुकदमें में फंसा दिया गया हो।

यह भी कहना गलत है कि मुल्जिम के पास से कोई गांजा बरामद नहीं हुआ। इसी लिए परीक्षण रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है।

सुनकर तस्दीक किया

बयान मेरे बोलने पर टाईप किया गया।